सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 155 राँची, सोमवार, 25 फरवरी, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

11 दिसम्बर, 2018

विषय- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने एवं आयोग के अधीन राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में।

संख्या - खा.प्र.-01/झा.रा.खा.आ./7-4/2017 - 3905, -- राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। अधिनियम के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग (State Food Commission) के गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत् झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का कार्य एवं प्रकृति राज्य स्तर पर निर्धारित है। कार्य के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आयोग कार्यालय उच्च स्तर का होना अनिवार्य है। कार्य की महत्ता के मद्देनजर आयोग के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन की आवश्यकता है। पदों के सृजन के क्रम में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सचिवालय का संलग्न कार्यालय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 4619, दिनांक 02.08.2010 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 गठित है। उक्त नियमावली के नियम 2 (झ) एवं प्रथम अनुसूची में सचिवालय के विभाग एवं उसके संलग्न कार्यालयों की सूची अंकित है।

झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 32 पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची एवं उसके संलग्न कार्यालय का उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का निदेशालय तथा राज्य उपभोक्ता फोरम संलग्न कार्यालय घोषित हैं।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 32 के अधीन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत **"झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग"** को सचिवालय का संलग्न कार्यालय के रूप में घोषित किया जाता है।

4. साथ ही **"झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग"** के अधीन निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन किया जाता है:-

(i)

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	अवर सचिव	01
2	प्रशाखा पदाधिकारी	01
3	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	02
4	निजी सहायक	01
5	निम्नवर्गीय लिपिक	01
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
7	चालक	01
8	आदेशपाल	02
9	रात्रि प्रहरी	01

(ii) सृजित पदो हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे एवं 7वां वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेरक्ष्य में संकल्प संख्या 217/वि॰, दिनांक 18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

(iii) संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त किये जाने हेतु वित्त विभाग के पत्रांक 4569/वि॰, दिनांक 05.07.2002 का अनुपालन किया जाय।

(iv) समूह-'घ'/चालक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों के विरूद्ध बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त की जाय तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय दिया जाय।

(v) बाह्य श्रोत (Outsourcing) के पद स्वीकृत नहीं समझे जाय अपितु बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेंगी।

5. इस प्रकार आयोग के अधीन सृजित किये जाने वाले पदों के विरूद्ध वेतनादि पर वर्तमान मंहगाई दर के आलोक में रूपये 48,66,288.00 (रूपये अड़तालीस लाख छियासठ हजार दो सौ अठासी मात्र) का वार्षिक व्यय संभावित है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 155 -- 100